# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2021/202

1. हेमराज सिंह आत्मज छीतर सिंह जाति राजपूत ।
2. राजेन्द्र सिंह आत्मज छीतर सिंह जाति राजपूत ।
3. सज्जन कंवर पत्नी छीतर सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. भगवान सिंह आत्मज गोपाल सिंह जाति राजपूत ।
2. विश्वनाथ प्रताप सिंह आत्मज श्री शिवनाथ सिंह जाति राजपूत ।
3. श्री राजसिंह आत्मज श्री शिवनाथ सिंह जाति राजपूत ।
4. पुष्प कंवर पत्नी शिवनाथ सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण कम 1 की ओर से

## निर्णय

दिनांकः 10.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2214 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा,

खसरा नम्बर 2217/1 रकबा 11 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थत है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है । ग्राम हिण्डोली में खसरा नम्बर 2211 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2212 रकबा 17 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की खतौनी संख्या 474 में प्रार्थी कम 2 लगायत 4 के खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थीगण की उक्त भूमियॉ एक दूसरे से मिली हुई है । प्रार्थीगण उक्त भूमियों में आने–जाने हेतु रास्ते की घोषणा करवाना चाहते हैं । प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2210 में रास्ते की घोषणा करवाकर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पाल बाग रोड खसरा नम्बर 2208 आम सडक से पूर्वी साइड पर स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2210 में पश्चिम से पूर्व की ओर खसरा नम्बर 2212 तक 20 फिट चौडा रास्ता जिसको नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में प्रदर्शित किया गया है रास्ता घोषित किया जाकर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे एवं रास्ते की नक्शे में तरमीम की जावे तथा रास्ते में अवाप्त होने वाला रकबा अप्रार्थीगण के खाते में से कम किया जावे ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.09.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2210 रकबा 2.10 बीघा में से 20 फिट चौडाई में खसरा नम्बर 2217/1 तक जाने हेतु रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि 04 बिस्वा बनती है, को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता घोषित कर अवाप्त भूमि की डीएलसी दर की दोगुनी राशि जमा कराने के उपरान्त रास्ता घोषित कर उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अपने खाते की आराजी पर आने–जाने हेतु अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 2010 में से होकर 20 फिट का रास्ता कायम करने का कथन किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार किया है । परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि खसरा नम्बर 2215 व 2216 जयकंवर पत्नी प्रहलाद गुंजल के नाम दर्ज है जो चाह से कायमी रास्ते से अपनी आराजी पर काश्त करते रहे हैं । खसरा नम्बर 2228 की भूमि आबादी भूमि है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की आराजी आबादी से लगी हुई है तथा कॉलोनी काटने हेतु अपीलान्ट की आराजी में से नवीन रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही स्वीकार कर लिया गया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2021 निरस्त फरमाया जावे।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट की आराजी में से नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही नवीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्टगण पूर्व में खसरा नम्बर 2227, 2226, 2222, 2220, 2216 एंव खसरा नम्बर 2225, 2224, 2219, 2218 के मध्य बने हुए रास्ते अपनी आराजी में आते–जाते रहे हैं । खसरा नम्बर 2222 चाह तक करीब 15 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है । इसके बाद खसरा नम्बर 2219, 2218, 2220 व 2216 के मध्य की मेड पर होकर रेस्पोडेन्ट अपने खेतों पर आते जाते हैं । खसरा नम्बर 2223 एवं 2218 रेस्पोडेन्ट की आराजी है जिस पर करीब 100 वर्षों से रेस्पोडेन्ट इसी रास्ते का उपयोग अपनी आराजी पर आने–जाने के लिये करते रहे हैं । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की आराजी आबादी के नजदीक ही स्थित होने से रेस्पोडेन्ट अपनी भूमियों को आवासीय कॉलोनी बनाने के ध्येय से सुविधा अनुसार नेशनल हाईवे से रास्ता चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रचलित रास्ता पूर्व से मौजूद होने के बावजूद भी नवीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । अपीलान्ट द्वारा रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसका गुणावगुण पर परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया गया । मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में अपने खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2210 में से नया रास्ता कायम करने का निवेदन किया था । परीक्षण न्यायालय में तीन बार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा अपीलान्ट को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान किया गया था उनकी आपत्ति को सुना गया तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली ने स्वयं मौका देखा । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के नियम 69 की पूर्ण रूप से पालना की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2022 (1) पेज 634, डीएनजे 2021 (2) पेज 1412, डीएनजे 2022 (1) पेज 01 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर अपने खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के

खसरा नम्बर 2210 में से होकर नया रास्ता कायम करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रास्ता कायम करने बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त की । उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 05.03.2020 को तैयार की गई है जिसमें हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं । उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि **"प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2210 जो हेमराज, राजेन्द्र सिंह पि0 छीतर सिंह, मु0 सज्जनकंवर बेवा छीतर सिंह के खातेदारी में दर्ज है, में से 20 फिट का रास्ता अर्थात् 04 बिस्वा भूमि रास्ते में आयेगी उक्त रास्ता सबसे सुगत व निकटवर्ती है । अन्य कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है ।"** उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 18.02.2021 को अप्रार्थीगण ने जरिये विद्वान् अभिभाषक आपत्ति प्रार्थना पत्र नियम 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.02.2021 के द्वारा उक्त आपत्ति के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2021 को प्रस्तावित रास्ते बाबत् मौका निरीक्षण करने का आदेश पारित किया ।

11. दिनांक 19.03.2021 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित रास्ते का मौका देखा गया । अप्रार्थीगण ने पुनः आपत्ति पेश करने का मौका चाहकर बहस हेतु इंकारी किया जिस पर पुनः आपत्ति पेश करने हेतु दिनांक 15.04.2021 को पेश होने का अंकन परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.03.2021 में किया गया है । तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 14.07.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि आईएलआर हिण्डोली ने प्रार्थी भगवानसिंह से मिलकर बिना मौका देखे व गलत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है जिसके खिलाफ अप्रार्थीगण ने आपत्ति पत्र पेश किया था जिस पर न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका देखने का आदेश दिया था परन्तु अप्रार्थीगण को कोई सूचना मौका देखने की नहीं दी गई है । अतः पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं दोनों पक्षों की उपस्थिति में वादग्रस्त स्थान का मौका निरीक्षण किया जावे । परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2021 को पुनः मौका निरीक्षण किया गया । स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा आपत्तियॉ पेश होने पर दो बार दिनांक 19.03.2021 एवं दिनांक 15.092021 को मौका निरीक्षण करने के उपरान्त निर्णय पारित करते हुए खसरा नम्बर 2210 में से होकर नया रास्ता कायम करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा नया रास्ता कायम करने हेतु मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के राजस्थान काश्तकारी नियम 69 के अनुसार स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

12. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की आपत्ति के आधार पर स्वयं पीठासीन अधिकारी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के नियमों के अन्तर्गत मौका निरीक्षण कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से मौका निरीक्षण कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए से निर्णय पारित किया है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा